फर्द अहकाम

उमेरा व अन्य बनाम पुष्करदयाल व अन्य

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 48/2022

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	22/5/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्तागण उभय पक्ष उपस्थित। बहस अंतिम हेतु अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा अवसर चाहा गया है। न्यायहित के दृष्टिगत अवसर दिया जाकर आगामी तारीख पर आवश्यक रूप से बहस अंतिम की हिदायत उभयपक्षगण को दी जाती है। आगामी तारीख पर आवश्यक रूप से बहस नहीं होने पर अवसर बहस स्वतः ही बंद माना जाकर पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात की गुणवत्ता अनुसार उचित निर्णय न्यायालय विवेकानुसार पारित किया जावेगा। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम दिनांक 30/05/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर	
	30/5/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्तागण उभयपक्ष उपस्थित। बहस अंतिम सुनी गई। वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अधिवक्ता वादीगण द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया है कि वादीगण की ओर से वादु ग्राम बटवाडा तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित भूमि आ. रव. नं. 462 रकबा 0.0229 हे. के सम्बन्ध में स्थाई निषेधाज्ञा माग के अनुतोष का हस्तगत वाद प्रस्तुत किया गया है। जिसके अनुसार उल्लेखित वादग्रस्त भूमि वादीगण की एकल खातेदारिता की कृषि भूमि है। जिस पर काबिज होकर वादीगण भूमि का उपयोग उपभोग करते आ रहे है। उक्त वर्णित (हस्ताक्षर)	

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

फर्द अहकाम

उमेरा व अन्य बनाम पुष्करदयाल व अन्य

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

संख्या 48/2022

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	30/5/25	वादग्रस्त भूमि से प्रतिवादीगण का किसी प्रकार का सम्बन्ध सरोकार नहीं है फिर भी प्रतिवादीगण आए दिन वादीगण को अपनी अभिलिखित एकल खातेदारिता की भूमि के उपयोग-उपभोग में बाधा-दखलन्दाजी कारित करते है तथा वादीगण को भूमि से बेदखल कर भूमि पर कब्जा कर लेने की धमकी देते है। जिससे वादीगण को अपनी अभिलिखित खातेदारिता की भूमि की सुरक्षार्थ वाद कारण उत्पन्न होकर वाद न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक व लाजमी हुआ है। जो तथ्यों व प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेज के दृष्टिगत स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादीगण को उनकी अभिलिखित एकल खातेदारिता की भूमि आ.रव.नं. 462 रकबा 0.0229 हे. वाके ग्राम बटवाडा तहसील आमेर के उपयोग-उपभोग में किसी प्रकार की अवैधिक दखलन्दाजी व बाधा कारित ना करे तथा मौके की यथास्थिति बनाए रखे। वादपत्र में वर्णित तथ्यों का जवाब प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण सं. 2,3 की ओर जवाब वादपत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अधिवक्ता प्रतिवादीगण सं. 2,3 द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया है कि मन प्रतिवादीगण सं. 2 व 3 द्वारा वादीगण की भूमि में किसी प्रकार का कोई अवैधिक कब्जा, व्यवधान अथवा कोई बाधा कारित नहीं की गई है (हस्ताक्षर)	P.T.O.

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.08.20 13:19:26 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

उमेश व अन्य बनाम पुष्करदयाल व अन्य

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 48/2022

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	30/05/25	बल्कि वादीगण द्वारा मिथ्या व आधारहीन तथ्यों पर वाद प्रस्तुत किया गया है। बल्कि वादीगण द्वारा भूमि पर कोई कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है अपितु भूमि पर कृषि कार्य से भिन्न अकृषि कार्य किया जा रहा है। जिससे वादीगण कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है तथा वाद वादीगण खारिज योग्य होने से खारिज फरमाया जावे। वादीगण की ओर से अपने वादपत्र के संदर्भ/समर्थन में निम्न दस्तावेजात (साक्ष्य) प्रस्तुत किए गए है- 1. प्रदर्श-1 : प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी संवत 2075-2078 खाता सं. 86 वाके ग्राम घटवाड़ा जिसके अनुसार अलेखित भूमि वादग्रस्त वादीगण की एकल खातेदारी की भूमि है। जिससे प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध प्रदर्शित नहीं है। 2 प्रदर्श-2 : प्रमाणित प्रतिलिपि खसरा नक्शा एवं जमाबन्दी जिसके अन्तर्गत प्रदर्शित भूमि खसरा नं. 462 के सीमा लगवां प्रतिवादीगण की कोई भूमि होना भी प्रतिवादीगण द्वारा कथन नहीं किया गया है। प्रतिवादीगण की ओर से अपने जवाब वादपत्र के अभिकथनों के संदर्भ में कोई साक्ष्य दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। वादीगण की ओर से साक्ष्य शपथपत्र वादी उमेश पुत्र भूरामल, गवाह रामलाल पुत्र बंशीधर, गवाह	P.T.O.

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

फर्द अहकाम

उमेश व अन्य बनाम पुष्करदयाल व अन्य

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

48/2022

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
30/05/25	कन्हैयालाल पुत्र नन्दलाल के प्रस्तुत कर बयान कलमबद्ध कराए गए है तथा प्रतिवादीगण की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र प्रतिवादी सं. 2 रामकुमार पुत्र सुवा राम का प्रस्तुत कर बयान कलमबद्ध कराया गया है। पक्षकारान की साक्ष्य निहित प्रक्रिया पूर्ण होकर बहस अंतिम सुनी गई। हमने उभयपक्ष वादान अधिवक्तागण की बहस सुनी, तथ्यों पर मनन किया व पत्रावली का गौरपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन व तथ्यों के समग्र विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि वादीगण द्वारा स्वयं की अभिलिखित एकल खातेदारी की भूमि की क्रियाओं की सुरक्षार्थ वाद प्रस्तुत कर स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है। जिसके संदर्भ में कोई मान्य तथ्यात्मक खंडन नहीं करते हुए प्रतिवादीगण द्वारा मात्र भूमि का अकृषि उपयोग होने बाबत कथन किया गया है जो कि वाद का विषय नहीं होकर वाद से भिन्न विषय का बिंदु है। ना ही उक्त संदर्भ में कोई मान्य/सुसंगत साक्ष्य प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत की गई है। इसके अतिरिक्त भी भूमि का गैरकृषि उपयोग प्रतिवादीगण को वादीगण की भूमि में अविधिक हस्तक्षेप को अनुमत नहीं करता है। ना ही प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की भूमि के सीमा लगावा अपनी भूमि होना कथन किया गया है। जिससे सीमा विवाद सम्बन्धी बिंदु भी प्रदर्शित नहीं होता है। अतः तथ्यों के दृष्टिगत वाद वादीगण स्वीकार	P.T.O

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.08.20 13:19:26 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

उमेश व अन्य बनाम पुष्करदयाल व अ.

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर

केस संख्या 48/2022 मुख्यालय-जयपुर

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	30/05/25	कर डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादि ग्राम घटवाड़ा तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित भूमि आराजी खसरा नं. 462 रकबा 0.0229 हे. जो कि वादीगण की एकल खातेदारिता की अभिलिखित भूमि है, की सीमाओ में किसी प्रकार की अविधिक दखलन्दाजी व हस्तक्षेप ना करें तथा वादीगण को अपनी उक्त भूमि के उपयोग-उपभोग में किसी प्रकार की बाधा कारित ना करे तथा मौके की यथास्थिति बनाए रखे। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय** जयपुर

इजलास **डॉ लक्ष्मीनारायण बुनकर, आर.ए.एस** **निर्णय दिनांक :30.05.2025**

वाद संख्या :48/2022

1. उमेश अग्रवाल पुत्र भूरामल अग्रवाल जाति महाजन निवासी दुर्गा मार्ग, बनीपार्क जयपुर।
2. जगदीश सोमानी पुत्र बालकिशन सोमानी जाति महाजन निवासी दुर्गा मार्ग, बनीपार्क जयपुर। — वादीगण

बनाम

1. पुष्कर दयाल शर्मा पुत्र हरदय शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम अनन्तपुरा तहसील चौमू जिला जयपुर।
2. रामकुमार पुत्र सुवाराम जाट जाति जाट निवासी राधास्वामी बाग चौमू तहसील चौमू जिला जयपुर।
3. लक्ष्मण गोलाडा पुत्र चंदाराम जाति जाट निवासी राधास्वामी बाग चौमू तहसील चौमू जिला जयपुर। प्रतिवादीगण

वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

वादीगण द्वारा स्वयं की अभिलिखित एकल खातेदारिता की भूमि की सीमाओं की सुरक्षार्थ वाद प्रस्तुत कर स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है। जिसके संदर्भ में कोई मान्य तथ्यात्मक खंडन नहीं करते हुए प्रतिवादीगण द्वारा मात्र भूमि का अकृषि उपयोग होने बाबत कथन किया गया है जो कि वाद का विषय नहीं होकर वाद से भिन्न विषय का बिंदु है तथा ना ही उक्त संदर्भ में कोई मान्य/सक्षम साक्ष्य प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत की गई है। इसके अतिरिक्त भी भूमि का गैर कृषि उपयोग प्रतिवादीगण को वादीगण की भूमि में अविधिक हस्तक्षेप को अनुमत नहीं करता है, ना ही प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की भूमि के सीमा लगवा अपनी भूमि होना व्यक्त किया गया है। जिससे सीमा विवाद संबंधी बिंदु भी प्रदर्शित नहीं होता है। अतः तथ्यों के दृष्टिगत वाद वादीगण स्वीकार कर डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंध किया जाता है कि वे ग्राम घटवाडा तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित भूमि आराजी खसरा नं. 462 **रकबा 0.0229** है. जो कि वादीगण की एकल खातेदारिता की अभिलिखित भूमि है, की सीमाओ **में किसी** प्रकार की अविधिक दखजंदाजी व हस्तक्षेप ना करें तथा वादीगण को अपनी उक्त **भूमि के** उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधा कारित ना करे एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 30.05.2025 को जारी की गई।

द. सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

ओहदा ....

मुदई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02		स्टाम्प अर्जी दावा	02	
स्टाम्प वकालत नामा	02		स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
[illegible]			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

... हर दी फरीकेत का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया गया हो

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.08.20 13:19:26 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर, मुख्यालय,जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : डॉ. लक्ष्मीनारायण बुनकर (आर.ए.एस)

वाद संख्या :48/2022 **निर्णय दिनांक :30.05.2025**

1. उमेश अग्रवाल पुत्र भूरामल अग्रवाल जाति महाजन
   निवासी दुर्गा मार्ग, बनीपार्क जयपुर।
2. जगदीश सोमानी पुत्र बालकिशन सोमानी जाति महाजन
   निवासी दुर्गा मार्ग, बनीपार्क जयपुर।

– वादीगण

बनाम

1. पुष्कर दयाल शर्मा पुत्र हरदय शर्मा जाति ब्राह्मण
   निवासी ग्राम अनन्तपुरा तहसील चौमू जिला जयपुर।
2. रामकुमार पुत्र सुवाराम जाट जाति जाट
   निवासी राधास्वामी बाग चौमू तहसील चौमू जिला जयपुर।
3. लक्ष्मण गोलाडा पुत्र चंदाराम जाति जाट
   निवासी राधास्वामी बाग चौमू तहसील चौमू जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

वादीगण की ओर से वाके ग्राम घटवाडा तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित भूमि आराजी खसरा नं. 462 रकबा 0.0229 है. के संदर्भ में हस्तगत वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा के प्रस्तुत कर अभिकथन किया गया है कि उक्त उल्लेखित भूमि वादीगण की एकल खातेदारिता की कृषि भूमि है जिस पर काबिज होकर वादीगण भूमि का उपयोग उपभोग करते आ रहे है। उक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि से प्रतिवादीगण का किसी प्रकार का कोई संबंध सरोकार नहीं है फिर भी प्रतिवादीगण आए दिन वादीगण को अपनी अभिलिखित एकल खातेदारिता की भूमि के उपयोग–उपभोग में बाधा व दखलंदाजी कारित करते है तथा वादीगण को भूमि से बेदखल कर भूमि पर कब्जा कर लेने की धमकी देते है। जिससे वादीगण को अपनी अभिलिखित खातेदारिता की भूमि की सुरक्षार्थ वाद कारण उत्पन्न होकर वाद न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक व लाजमी हुआ है। जो तथ्यों व प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेज के दृष्टिगत स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वादीगण को उनकी अभिलिखित एकल खातेदारिता की भूमि आराजी खसरा नं. 462 रकबा 0.0229 है. वाके ग्राम घटवाडा तहसील आमेर जिला जयपुर के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की अविधिक दखलंदाजी व बाधा कारित ना करें तथा मौके की यथास्थिति बनाए रखें।

वादीगण की ओर से अपने वादपत्र के संदर्भ/समर्थन में निम्न दस्तावेजात प्रस्तुत किए गए हैः–

1 प्रदर्श 1:– प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी संवत 2075–2078 खाता सं. 86 वाके ग्राम घटवाडा तहसील आमेर। जिसके अनुसार उल्लेखित भूमि वादग्रस्त आराजी ख.नं. 462 रकबा 0.0229 है. वादीगण की एकल खातेदारिता की भूमि है। जिससे प्रतिवादीगण का कोई संबंध प्रदर्शित नहीं है।

2. प्रदर्श 2:– प्रमाणित प्रतिलिपी खसरा नक्शा एवं जमाबंदी। जिसके अंतर्गत प्रदर्शित भूमि ख.नं. 462 के सीमा लगवा प्रतिवादीगण की कोई भूमि होना भी प्रदर्शित नहीं कथन नहीं किया गया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.08.20 13:19:26 IST
Reason: SelfAttested

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जवाब व दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु विधिवत नोटिस जारी किए गए। जिसके तहत प्रतिवादी सं. 1 को तामिल से बावजूद सक्षम तामिल के न्यायालय हाजा के समक्ष उपस्थिति प्रस्तुत नहीं की जाने पर प्रतिवादी सं. 1 के विरूद्ध दिनांक 07.02.2024 को एकतरफा कार्यवाही का आदेश पारित किया गया तथा प्रतिवादीगण सं. 2 व 3 की ओर से दिनांक 23.05.2024 को विधिवत उपस्थिति प्रस्तुत की गई।

प्रतिवादीगण सं. 2 व 3 की ओर से जवाब वादपत्र प्रस्तुत कर अभिकथन किया गया है कि मिन प्रतिवादीगण सं. 2 व 3 द्वारा वादीगण की भूमि में किसी प्रकार का कोई अविधिक कब्जा, व्यवधान अथवा कोई बाधा कारित नहीं की गई है बल्कि वादीगण द्वारा मिथ्या व आधारहीन तथ्यों पर वाद प्रस्तुत किया

कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

गया है तथा वादीगण द्वारा भूमि पर कोई कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है अपितु भूमि पर कृषि कार्य से भिन्न अकृषि कार्य किया जा रहा है। जिससे वादीगण कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है तथा वाद वादीगण खारिज होने से खारिज फरमाया जावें।

प्रतिवादीगण की ओर से अपने जवाब वादपत्र के संदर्भ/समर्थन में कोई साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उभयपक्षकारान के अभिकथनों के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई:–

1. आया– वादीगण वाद अधीन भूमि ख. नं. 462 रकबा 0.0229 वाके ग्राम घटवाडा के संदर्भ में (जो कि वादीगण की एकल खातेदारिता की भूमि है) प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी है ?

–वादीगण

2. आया– उल्लेखित भूमि वादग्रस्त का गैर कृषि वाणिज्यिक उपयोग होने से वाद वादीगण बॉर्ड बॉई लॉ होने के आधार पर खारिज योग्य है ?

–प्रतिवादीगण 2, 3

3. आया– न्यायालय हाजा को प्रकरण की सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है ?

–प्रतिवादीगण 2, 3

4. आया वाद कारण के अभाव में वाद वादीगण खारिज् योग्य है ?

–प्रतिवादीगण 2, 3

5. अनुतोष ?

कायम तनकीयात के क्रम में वादी की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र वादी उमेश पुत्र भूरामल, गवाह रामलाल पुत्र बंशीधर, कन्हैयालाल पुत्र नन्दलाल के प्रस्तुत कर बयान कलमबद्ध करवाये गए तथा प्रतिवादीगण की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र प्रतिवादी सं. 2 रामकुमार पुत्र सुवाराम का प्रस्तुत कर बयान कलमबद्ध करया गया। उभयपक्षकारान की साक्ष्य जिरह प्रक्रिया पूर्ण की जाकर पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई जिसके क्रम में उभयपक्षकारान की बहस अंतिम सुनी गई।

हमने उभयपक्षकारान अधिवक्तागण की बहस अंतिम सुनी, तथ्यों पर मनन किया व प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों के समग्र विवेचन अनुसार प्रकरण का तनकीवार निस्तारण निम्नानुसार है:–

तनकी सं. 1:– इस वाद बिंदु को सिद्ध करने की भारिता वादीगण पर थी। जिसके अनुसार वादीगण द्वारा यह सिद्ध किया जाना अपेक्षित था कि वाद अधीन भूमि ख. नं. 462 रकबा 0.0229 वाके ग्राम घटवाडा (जो कि वादीगण की एकल खातेदारिता की भूमि है) के संदर्भ में वादीगण प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी है। उक्त परिपेक्ष्य में वादीगण की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेज प्रदर्श 1 जमाबंदी संवत 2075–2078 खाता सं. 86 वाके ग्राम घटवाडा तहसील आमेर के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उल्लेखित भूमि वादग्रस्त वादीगण की एकल खातेदारिता की भूमि है जिससे वादीगण का कोई संबंध नहीं है, ना ही उक्त संदर्भ में प्रतिवादीगण की ओर से किसी प्रकार की कोई मान्य उज्र आपत्ति अथवा अभिकथन प्रस्तुत किया गया है। जिससे वादीगण की प्रतिवादीगण को अपनी उक्त उल्लेखित एकल खातेदारिता की भूमि के संदर्भ में स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने की अधिकारिता सिद्ध होती है। अतः यह तनकी वादीगण के पक्ष में निस्तारित की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.08.20 13:19:26 IST
Reason: SelfAttested

तनकी सं. 2:– इस वाद बिंदु को सिद्ध करने की भारिता प्रतिवादीगण सं. 2 व 3 पर थी। जिसके अनुसार प्रतिवादीगण सं. 2 व 3 द्वारा यह सिद्ध किया जाना अपेक्षित था कि उल्लेखित भूमि वादग्रस्त का गैर कृषि वाणिज्यिक उपयोग होने से वाद वादीगण बॉर्ड बॉई लॉ होने के आधार पर खारिज योग्य है। उक्त परिपेक्ष्य में पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि राजस्व रिकॉर्ड अनुसार उल्लेखित भूमि वादग्रस्त कृषि भूमि के रूप में दर्ज अंकित है तथा भूमि के गैर कृषि वाणिज्यिक उपयोग के संदर्भ में प्रतिवादीगण की ओर से कोई मान्य साक्ष्य दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे वाद वादीगण बार्ड बाई लॉ होने संबंधी कथन गैर प्रमाणित होने से यह तनकी विरूद्ध प्रतिवादीगण तय की जाती है।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

तनकी सं. 3:– इस वाद बिंदु को सिद्ध करने की भारिता प्रतिवादीगण सं. 2 व 3 पर थी। जिसके अनुसार प्रतिवादीगण सं. 2 व 3 द्वारा यह सिद्ध किया जाना अपेक्षित था कि न्यायालय हाजा को प्रकरण की सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है। उक्त परिपेक्ष्य में प्रतिवादीगण की ओर से ऐसा कोई मान्य साक्ष्य दस्तावेज अथवा अभिकथन प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह प्रमाणित हो कि किस अमुक विशिष्ट आधार पर प्रकरण की सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को प्राप्त नहीं है। जबकि प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेजात व राजस्व रिकॉर्ड अनुसार भूमि वादग्रस्त कृषि भूमि के रूप में वादीगण की अभिलिखित एकल खातेदारिता में दर्ज अंकित है तथा प्रस्तुत वाद कृषि भूमि के संदर्भ में स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है जो कि राज.काश्त.अधि. 1955 की धारा 188 के अंतर्गत विधिक रूप से अनुमत है। अतः यह तनकी विरूद्ध प्रतिवादीगण तय की जाती है।

तनकी सं. 4:– इस वाद बिंदु को सिद्ध करने की भारिता प्रतिवादीगण सं. 2 व 3 पर थी। जिसके अनुसार प्रतिवादीगण सं. 2 व 3 द्वारा यह सिद्ध किया जाना अपेक्षित था कि वाद कारण के अभाव में वाद वादीगण खारिज योग्य है। उक्त परिपेक्ष्य में वादीगण के कथनानुसार प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की अभिलिखित एकल खातेदारिता की भूमि में अभिलिखित हस्तक्षेप किया जाना अभिव्यक्त किया गया है। जिसका की प्रतिवादीगण की ओर से कोई सक्षम व साक्ष्य आधारित खंडन भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार स्वयं की एकल खातेदारिता की भूमि के संदर्भ में गैर खातेदार द्वारा अविधिक हस्तक्षेप किया जाना स्वतः ही सक्षम वादकारण है। अतः यह तनकी विरूद्ध प्रतिवादीगण तय की जाती है।

आदेश

हमने उभयपक्षकारान अधिवक्तागण की बहस अंतिम सुनी, तथ्यों पर मनन किया व पत्रावली का गौरपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन व तथ्यों के समग्र विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि वादीगण द्वारा स्वयं की अभिलिखित एकल खातेदारिता की भूमि की सीमाओं की सुरक्षार्थ वाद प्रस्तुत कर स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है। जिसके संदर्भ में कोई मान्य तथ्यात्मक खंडन नहीं करते हुए प्रतिवादीगण द्वारा मात्र भूमि का अकृषि उपयोग होने बाबत कथन किया गया है जो कि वाद का विषय नहीं होकर वाद से भिन्न विषय का बिंदु है तथा ना ही उक्त संदर्भ में कोई मान्य/सक्षम साक्ष्य प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत की गई है। इसके अतिरिक्त भी भूमि का गैर कृषि उपयोग प्रतिवादीगण को वादीगण की भूमि में अविधिक हस्तक्षेप को अनुमत नहीं करता है, ना ही प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की भूमि के सीमा लगवा अपनी भूमि होना व्यक्त किया गया है। जिससे सीमा विवाद संबंधी बिंदु भी प्रदर्शित नहीं होता है। अतः तथ्यों के दृष्टिगत वाद वादीगण स्वीकार कर डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंध किया जाता है कि वे ग्राम घटवाडा तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित भूमि आराजी खसरा नं. 462 रकबा 0.0229 है. जो कि वादीगण की एकल खातेदारिता की अभिलिखित भूमि है, की सीमाओ में किसी प्रकार की अविधिक दखजंदाजी व हस्तक्षेप ना करें तथा वादीगण को अपनी उक्त भूमि के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधा कारित ना करे एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर

(डॉ. लक्ष्मीनारायण बुनकर)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर,
मुख्यालय, जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.08.20 13:19:26 IST
Reason: SelfAttested